भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1188

दिनांक 10 दिसम्बर2025 / 19 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

कर्नाटक में स्वीकृत केंद्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

1188 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में कर्नाटक में पुलिस अवसंरचना, साइबर-अपराध प्रकोष्ठों और त्वरित आपदा प्रतिक्रिया दलों के लिए कितनी केंद्रीय सहायता परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) कर्नाटक में 2023-24 और 2024-25 में साइबर-धोखाधड़ी के कितने मामले सामने आए हैं और इनमें से कितने मामलों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया; और

(ग) बाढ़ और सूखा प्रभावित तालुकों में आपदा-तैयारी, सामुदायिक-पुलिस व्यवस्था और तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ग): 2022-23 में ऐसी छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी; 2023-24 के लिए पांच परियोजनाओं और 2024-25 के लिए पांच परियोजनाओं को 'राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सहायता'/'अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली' के तहत स्वीकृत किया गया।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1188, दिनांक 10.12.2025

कर्नाटक को बारह सबसे सूखा-प्रवण जिलों के लिए उत्प्रेरक सहायता परियोजना, अग्नि सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना और शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।

आपदा और इसी प्रकार की स्थिति पर नजदीकी निगरानी रखी गई ताकि प्रभावित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए तात्कालिक हस्तक्षेप जैसी लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिससे वे आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राज्य में बाढ़, भूस्खलन, तूफान और भूकंप के प्रति संवेदनशील 11 अत्यधिक जोखिम वाले जिलों को कवर करने वाले आपदा मित्र योजना के विस्तार को लागू किया है, ताकि राज्य में 3518 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

एनडीएमए ने टेलिमैटिक्स विकास केंद्र (C-DOT) के सहयोग से एक सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, ताकि संभावित खतरों के बारे में चेतावनियों/अलर्ट्स को भौगोलिक रूप से संदर्भित जनसंख्या तक उनकी मातृभाषाओं में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे एसएमएस, सेल ब्रॉडकास्ट (CB), टीवी/रेडियो प्रसारण, रेलवे, मोबाइल एप्लिकेशन, सोशल मीडिया, सैटेलाइट टर्मिनल आदि के माध्यम से पहुँचाया जा सके। कर्नाटक के लिए, 82.7 करोड़ एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए गए हैं।

(ख): नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, नवीनतम प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2023 से संबंधित हैं और 2023 में कर्नाटक में साइबर अपराधों (संचार उपकरणों के माध्यम से लक्ष्य बनाये गए मामलों) के तहत धोखाधड़ी (धारा 420 सह/धारा 465, 468/471 आईपीसी और आईटी अधिनियम) में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 'शून्य' है। साइबर अपराध का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1188, दिनांक 10.12.2025
अनुलग्नक पृ-1

2020-2023 के दौरान कर्नाटक में अपराध-शीर्ष-वार साइबर अपराध					
क्र	**अपराध प्रमुख**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़	191	8	5	7
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	10109	7581	11729	20806
2.1	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	64	48	278	136
2.1A	रैनसमवेयर	23	20	184	30
2.1B	रैनसमवेयर के अलावा अन्य अपराध	41	28	94	106
2.2	चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करना	14	4	15	11
2.3	पहचान की चोरी	3513	1764	3752	2411
2.4	कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी	6486	5726	7615	18166
2.5	गोपनीयता का उल्लंघन	32	39	69	82
3	साइबर आतंकवाद	3	1	1	1
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	406	525	773	1007
4.1	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना	135	111	351	331
4.2	इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण	90	74	105	261
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य में चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण	122	159	235	341
4.4	मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण	0	3	10	4
4.5	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएँ	59	178	72	70
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	0	0	0	0
6	संरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच/पहुंच का प्रयास	0	0	0	0
7	अपराध करने के लिए उकसाना	0	1	0	0
8	अपराध करने का प्रयास	0	1	7	6
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएँ	31	8	34	43
A	**आयकर अधिनियम के तहत कुल अपराध**	**10740**	**8125**	**12549**	**21870**
1	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	0	0	0	2
2	महिलाओं/बच्चों का साइबर स्टॉकिंग/धमकाना	1	5	0	4
3	डेटा चोरी	0	0	0	0
4	धोखा	0	6	0	0
5	बेईमानी करना	0	0	6	5
6	जालसाजी (Forgery)	0	0	0	1
7	मानहानि/रूपांतरण	0	0	0	0
8	नकली प्रोफ़ाइल	0	0	0	0
9	कूटकरण (Counterfeiting)	0	0	0	0
10	साइबर ब्लैकमेलिंग/धमकी	0	0	1	1
11	सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें	0	0	0	4
12	अन्य अपराध	0	0	0	1

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1188, दिनांक 10.12.2025
अनुलग्नक/पृ-2

B	**बीएनएस/आईपीसी के तहत कुल अपराध**	**1**	**11**	**7**	**18**
1	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	0	0	0	0
2	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	0	0	0	0
3	कॉपीराइट अधिनियम	0	0	0	0
4	ट्रेड मार्क्स अधिनियम	0	0	0	0
5	अन्य एसएलएल अपराध	0	0	0	1
C	**एसएलएल के तहत कुल अपराध**	**0**	**0**	**0**	**1**
D	**कुल साइबर अपराध**	**10741**	**8136**	**12556**	**21889**